7

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS

वादपत्र अन्तर्गत धाराः- 88, 188 आर.टी.ए.

प्रकरण संख्याः- 042/2017

देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री ओम सिंह जाति राजपूत निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन हाल नंबर 14447222 के, रेंग एल/एमके आर्टीलरी डिपो रेजिमेंट, हाल्डिंग बैटरी आर्टीलरी सेंटर सीओ-56 एपीओ, ईएक्स-218 मीडियम रेजिमेंट आर्टीलरी सेंटर, नासिक रोड कैम्प।

-:वादी

**बनाम्**

1 ओम सिंह पुत्र श्री जगमाल सिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी 10/100, राजस्थान आवासन मण्डल कॉलोनी, हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 रविन्द्र सिंह पुत्र श्री ओम सिंह पुत्र स्व0 श्री जगमाल सिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी 10/100, राजस्थान आवासन मण्डल कॉलोनी, हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 नगेन्द्र सिंह पुत्र श्री ओम सिंह पुत्र स्व0 श्री जगमाल सिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी 10/100, राजस्थान आवासन मण्डल कॉलोनी, हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5 तहसीलदार (राजस्व) झुंझुनु, तहसील व जिला झुंझुनू।
6 रमन कंवर धर्मपत्नी श्री नगेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी 10/100, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

-:प्रतिवादीगण

**उपस्थित** :-

1. श्री राजेशदीप राय - अधिवक्ता वादी
2. श्री लालचंद वर्मा - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 6
3. राज पैरोकार - प्रतिवादी सं. 4, 5

**-:निर्णयः-**

**दिनांक 09.02.2026**

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि वादीगण व प्रतिवादीगण का प्रमाणित व पंजीकृत पता वाद पत्र के शीर्षक में दर्ज अनुसार सही है।

यह है कि प्रश्नगत कृषि भूमि चक 13 एचएमएच तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नंबर 146/266 (14) किला नंबर 1 से 25 वादी के दादा स्व0 श्री जगमाल सिंह के नाम दर्ज थी तथा स्व0 श्री जगमाल सिंह के कुल पांच पुत्र सर्वश्री पृथ्वी सिंह, सतपाल सिंह, सावंत सिंह, प्रवीण सिंह व ओम सिंह है तथा वादी की दादी श्रीमती उगम कंवर फौत हो चुकी है।

यह है कि उक्त 25 बीघा भूमि स्व0 श्री जगमाल सिंह के पांचो पुत्रों व पत्नी श्रीमती उगम कंवर को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई तथा इस भूमि में प्रत्येक हिस्सेदार 1/6 हिस्से के हकदार हुए व इस प्रकार प्रत्येक को 1.054 है0 भूमि उत्तराधिकारिता से न्यागत हुई। इस प्रकार वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को 1.054 है0 भूमि विरास्तन प्राप्त होने का कथन किया है तथा इस भूमि की पैदावार से प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने बड़े भाई श्री सतपाल सिंह से 3 बीघा भूमि व अपने भाई प्रवीण सिंह से 1 बीघा भूमि खरीद की है लेकिन स्टाम्प ड्यूटी को बचाने की गर्ज से 3 बीघा भूमि का त्याग पत्र व 1 बीघा भूमि का दानपत्र अपने पक्ष में निष्पादित करवाया है।

यह है कि श्रीमती उगम कंवर के देहान्त उपरांत उसके हिस्सा की 1.054 है0 भूमि उसके पांचों पुत्रों को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई है व इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 2.277 है0 भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है जो संयुक्त परिवार की सहदायिक सम्पति होने से वादी ने इस भूमि में 1/4 हिस्सा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

(8)

घोषणा चाही है। वादी ने यह कथन भी किये है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि में वादी को के हिस्सा से वंचित करने के लिए लडाई झगड़ा करने लगा तथा वादी व उसकी पत्नी को तंग व न करना प्रारम्भ कर दिया जिस पर दिनांक 01.08.2013 को एक राजीनामा बतौर पारिवारिक ौता भी तहरीर हुआ। वादी ने उक्त वर्णित चक 13 एचएमएच की भूमि के अलावा गांव काली पहाड़ी ला झुंझुंनू की 10 बीघा भूमि को भी पैतृक सम्पति होना व्यक्त करते हुए इस भूमि में अपने अधिकारों की घोषणा के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई षेधाज्ञा चाही है कि प्रतिवादी संख्या 1 उक्त वर्णित चक 13 एचएमएच की 2.277 है0 भूमि को रहन, य व मुन्तकिल नही करे आदि आदि कथन कर वाद पत्र पेश किया गया।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 व 3, 6 की ओर से अधिवक्ता श्री लालचंद वर्मा उपस्थित।

प्रतिवादी संख्या 1 ने पृथक से जबाव दावा प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 ने पृथक से जबाव दावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादिया संख्या 6 ने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा 0.506 है0 भूमि का दानपत्र उसके पक्ष में किये जाने के आधार पर पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो स्वीकार किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 ने जबाव दावा प्रस्तुत करते हुए स्व0 श्री जगमाल सिंह से 1.054 है0 भूमि विरास्तन प्राप्त होने के तथ्य को स्वीकार किया लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने भाई सतपाल सिंह से क्रय शुदा 3 बीघा भूमि व अपने भाई प्रवीण सिंह से क्रय शुदा 1 बीघा भूमि को आर्मी के हवलदार पद पर तैनात होने व सन् 1997 में सेवानिवृत होने के बाद व सेवानिवृति उपरांत स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा निम्बाहेड़ा (चितोड़गढ़) में गार्ड में पद पर नियुक्त होने से अपनी स्वअर्जित आय से क्रय किए जाने के कथन किये तथा अपनी क्रय शुदा 4 बीघा भूमि कथित रूप से संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति से अर्जित होने के तथ्य को अस्वीकार किया तथा अपनी माता के देहान्त उपरांत उसके हिस्सा की 1.054 है0 में से विरास्तन प्राप्त 0.211 है0 भूमि को भी पैतृक सम्पति होने से इन्कार किया। प्रतिवादीगण ने अपने जबाव दावा में सिर्फ 1.054 है0 भूमि में से ही वादी का 1/4 हिस्सा अर्थात् 0.263 है0 भूमि के संबंध में ही खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के तथ्य अंकित किये तथा अपनी क्रय शुदा 4 बीघा भूमि को स्वअर्जित सम्पति होना व्यक्त करते हुए इस भूमि की सीमा तक व्ययन के अधिकार होने के कथन किये। प्रतिवादीगण ने यह भी कथन किया कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 व उसके भाईयों के मध्य राजस्व वाद सं0 280/2016 में विभाजन होकर जरिये इंतकाल संख्या 306 दिनांक 13.06.2017 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1.265 हैक्टेयर व प्रतिवादी संख्या 2 रविन्द्र सिंह व प्रतिवादिया सख्या 6 श्रीमती रंवर कंवर के पक्ष में 1.012 है0 के अलग अलग खाते कायम हो चुके है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जबाव दावा का वादी की ओर से जबावुल जबाव प्रस्तुत हुआ।

उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक विरचित हुए। साक्ष्य के प्रक्रम पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 व 6 ने राजीनामा प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। इस राजीनामा के अन्तर्गत वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 व 6 ने कुल 2.277 है0 भूमि को संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति होना स्वीकार करते हुए उक्त कुल 2.277 है0 भूमि के संबंध में दौराने दावा राजस्व वाद संख्या 280/2016 में पारित विभाजन की डिक्री दिनांक 18.07.2017 के अंतर्गत विभाजित हो चुकी 2.277 है0 को संयुक्त मानते हुए उक्त भूमि में वादी देवेन्द्र सिंह का 0.569 है0 व प्रतिवादी संख्या 1 ओम सिंह का 0.570 है0 व प्रतिवादी संख्या 2 रविन्द्र सिंह का 0.569 है0 व प्रतिवादी संख्या 3 नगेन्द्र सिंह का 0.316 है0 व प्रतिवादी संख्या 3 की धर्मपत्नी प्रतिवादिया संख्या 6 रमन कंवर का 0.253 है0 हक होना स्वीकार किया है तथा इसी अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्रदत्त किए जाने में सहमति दी है तथा इस राजीनामा के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ओम सिंह के नाम दर्ज वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2076-2079 के खाता संख्या 13/14 तादादी 1.265 है0 में से प्रतिवादी संख्या 1 ओम सिंह का 0.570 है0 रखते हुए शेष 0.695 है0 में वादी देवेन्द्र सिंह का 0.569 है0 व प्रतिवादी संख्या 2 रविन्द्र सिंह का 0.126 हैक्टेयर दर्ज किये जाने का निवेदन किया है व प्रतिवादी संख्या

रविन्द्र सिंह व प्रतिवादिया संख्या 6 रमन कंवर के नाम दर्ज वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2076 से 079 के खाता संख्या 69/72 तादादी 1.012 है0 में प्रतिवादी संख्या 2 रविन्द्र सिंह का 0.443 है0 प्रतिवादी संख्या 3 नगेन्द्र सिह का 0.316 है0 तथा प्रतिवादिया संख्या 6 रमन कंवर का 0.253 है0 किए जाने का निवेदन करते हुए उक्तानुसार वादपत्र डिक्री किए जाने का निवेदन किया है।

राजीनामा का अवलोकन किया गया। वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा उन्होनें कगत 2.277 है0 भूमि को संयुक्त हिन्दू परिवार की होना स्वीकार करते हुए इस भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा अर्थात् 0.570 है0 व अपने पुत्रों अर्थात् वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 को भी 1/4-1/4 हिस्सा की भूमि दिये जाने में सहमति दी है तथा इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम दर्ज खाता संख्या 13/14 तादादी 1.265 है0 में स्वयं के नाम 0.570 है0 भूमि रखते हुए शेष भूमि में से वादी को 0.569 है0 व प्रतिवादी संख्या 2 को 0.126 है0 दिये जाने व प्रतिवादी संख्या 2 व 6 के नाम दर्ज खाता संख्या 69/72 तादादी 1.012 है0 में प्रतिवादी संख्या 2 को 0.443 है0 देना स्वीकार करते हुए कुल 0.569 है0 भूमि दिये जाने में सहमति दी है तथा इस खाता संख्या 69/72 की शेष भूमि में से प्रतिवादी संख्या 3 नगेन्द्र सिंह को 0.316 है0 तथा उसकी धर्मपत्नी प्रतिवादिया संख्या 6 रमन कंवर का 0.253 है0 इस प्रकार दोनो पति-पत्नी का 0.569 है0 दर्ज किए जाने में सहमति दी है। इस राजीनामा अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ने कुल 2.277 है0 भूमि का अपने व अपने पुत्रों के मध्य सम विभाजन किया है जो एक पारिवारिक व्यवस्था होने से विधिसम्मत है। ऐसी स्थिति में इस राजीनामा अनुसार यह वादपत्र डिक्री किए जाने योग्य है। दौराने बहस उभयपक्ष ने मुताबिक सहमति के दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। उपलब्ध दस्तावेजों व सहमति के आधार पर वाद, वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

**-:<u>क्रियात्मक आदेश</u>:-**

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा निर्णित किया जाता है व घोषणा की जाती है कि:- चक 13 एचएमएच तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 13/14 सम्वत् 2076-2079 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.265 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 ओमसिंह को 0.570 है0, वादी देवेन्द्र सिंह को 0.569 है0 व प्रतिवादी संख्या 2 रविन्द्र सिंह को 0.126 है0 का खातेदार घोषित किया जाता है तथा चक 13 एचएमएच के खाता संख्या 69/72 सम्वत् 2076-2079 तादादी 1.012 है0 जिसमें रमन कंवर व रविन्द्र सिंह बहिस्सा बराबर के खातेदार दर्ज है, में प्रतिवादी संख्या 2 रविन्द्र सिंह को 0.443 है0 व प्रतिवादी संख्या 3 नगेन्द्र सिंह को 0.316 है0 तथा प्रतिवादिया संख्या 6 रमन कंवर को 0.253 है0 का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

**नोटः- रकबा रहन हो तो बाद रहन मुक्त के निर्णय की पालना की जावें।**

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ**

**पीठासीन** अधिकारीः- **(मांगी लाल)** RAS

**प्रकरण** संख्याः- 042/2017

देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री ओम सिंह जाति राजपूत निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन हाल नंबर 14447222 के, रैंग एल/एमके आर्टीलरी डिपो रेजिमेंट, हाल्डिंग बैटरी आर्टीलरी सेंटर सीओ-56 एपीओ, ईएक्स-218 मीडियम रेजिमेंट आर्टीलरी सेंटर, नासिक रोड कैम्प।

-:वादी

**बनाम्**

1 ओम सिंह पुत्र श्री जगमाल सिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी 10/100, राजस्थान आवासन मण्डल कॉलोनी, हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 रविन्द्र सिंह पुत्र श्री ओम सिंह पुत्र स्व0 श्री जगमाल सिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी 10/100, राजस्थान आवासन मण्डल कॉलोनी, हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3 नगेन्द्र सिंह पुत्र श्री ओम सिंह पुत्र स्व0 श्री जगमाल सिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी 10/100, राजस्थान आवासन मण्डल कॉलोनी, हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

4 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

5 तहसीलदार (राजस्व) झुंझुनु, तहसील व जिला झुंझुंनू।

6 रमन कंवर धर्मपत्नी श्री नगेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी 10/100, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

-:प्रतिवादीगण

**वादपत्र अन्तर्गत धाराः- 88, 188 आर.टी.ए.**

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ मांगी लाल आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री राजेशदीप राय वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री लालचंद वर्मा वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 6 व राजपैरोकार मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व घोषणा की जाकर डिक्री दी जाती है किः- चक 13 एचएमएच तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 13/14 सम्वत् 2076-2079 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.265 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 ओमसिंह को 0.570 है0, वादी देवेन्द्र सिंह को 0.569 है0 व प्रतिवादी संख्या 2 रविन्द्र सिंह को 0.126 है0 का खातेदार घोषित किया जाता है तथा चक 13 एचएमएच के खाता संख्या 69/72 सम्वत् 2076-2079 तादादी 1.012 है0 जिसमें रमन कंवर व रविन्द्र सिंह बहिस्सा बराबर के खातेदार दर्ज है, में प्रतिवादी संख्या 2 रविन्द्र सिंह को 0.443 है0 व प्रतिवादी संख्या 3 नगेन्द्र सिंह को 0.316 है0 तथा प्रतिवादिया संख्या 6 रमन कंवर को 0.253 है0 का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार का कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे।।

निज XXX नल XXX मुब्लिक XXX निल XXX बाबत् XXX निल XXX खर्चा मुकदमें के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तारीख तक XXX अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 09.02.2026 को जारी किया गया।

**नोटः- रकबा रहन हो तो बाद रहन मुक्त के डिक्री की पालना की जावें।**

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ